# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड जावरा जिला रतलाम

क्रमांक / 597 / खाद्य / 2023 जावरा, 02/02/2023

## // विज्ञप्ति //

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 7–19 / 2014 / 29–1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2017 एवं 1578 / पी.एस.फूड / 2022 भोपाल दिनांक 13 / 09 / 2022 के निर्देशों के परिपालन में निम्नानुसार अनुविभाग जावरा के नगर परिषद पिपलौदा क्षेत्र में समर्पित पिपलौदा नगर की दुकान क्रमांक 01 के लिए नवीन उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है ।

आवेदनकर्ता हेतु आवश्यक निर्देश निम्नानुसार है :–

1. अनुविभाग जावरा के नगर परिषद पिपलौदा क्षेत्र में समर्पित पिपलौदा नगर की दुकान क्रमांक 01 के लिए नवीन उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र इस विभाग की वेबसाईट www.m ration mitra.mp.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 8 (1) सह पठित अनुसूचि दो में संशोधन दिनांक 11 अप्रैल 2016 (परिशिष्ट दो) के अनुसार उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु निम्नांकित संस्थायें /समूह /समिति पात्र है :– (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा(1) के अन्तगर्त वर्गीकृत (1) उपभौक्ता सोसायटी, (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी (4) संसाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी । (ख) महिला स्व–सहायता समूह । (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समिति।
3. उक्त पात्र संस्थाओं / स्वः सहायता समूह / समिति से आवेदन प्राप्त करने की प्रकिया **ऑनलाईन** होग, पात्र संस्थाओं / समूह / समिति से **ऑनलाईन** आवेदन दिनांक 13 / 02 / 2023 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्देश की प्रति विभाग की वेबसाईट www.m ration mitra.mp.gov.in पर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन बुलाने के लिए विभाग की वेबसाईट पर एक लिंक दिया जायेगा, जिस पर क्लिक करने में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जा सकेगें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग जावरा जिला रतलाम

पृ.क्रमांक / 598 / खाद्य / 2023 जावरा, दिनांक 02/02/2023

प्रतिलिपि :–

1. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. तहसीलदार पिपलौदा की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस वोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु ।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपरिषद पिपलौदा की ओर लेख है कि सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
4. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जावरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. शहरी आजीविका मिशन नगर पिपलौदा, जावरा की ओर लेख है कि संबंधित महिला समूहों को सूचना करें एवं व्यापक प्रचार, प्रसार करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग जावरा जिला रतलाम